न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या : 13/2019
जीसीएमएस न0 2019/00311

1. श्रीमति कला बाई उर्फ तुलसी बाई पुत्री गोकुलजी जाति बलाई निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

अपीलांट

बनाम

1. विजेराम पिता गोकुल जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. ग्राम पंचायत केली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

रेस्पांडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
नामान्तरकरण संख्या 400 निर्णय दिनांक 14.06.1969
अधिवक्ता अपीलाण्ट , नरेन्द्र वैष्णव
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट, आशाराम प्रजापत

निर्णय **दिनांक 29.09.2023**

1. संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट एवं रेस्पांडेन्ट नं० 1 की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तेनी पैतृक आराजियात वाकै मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा की पुरानी आराजी नं0 1459 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये आराजी नं0 2447 रकबा 0.0100 हे0, आराजी नं0 2448 रकबा 2.9100 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.9200 हे0 कुल स्थित है।

2. उक्त आराजियात अपीलांट की पुश्तैनी पैतृक आराजियात हैं जो अपीलांट के पिता गोकल पिता प्याराजी बला[illegible] चली आ रही है गोकल जी के एक पुत्र विजेराम रेस्पांडेन्ट नं0 [illegible] पुत्री अपीलांट कलाबाई उर्फ तुलसीबाई हुई। जिनका गो[illegible] के हिस्से में [illegible]लांट का 1/2 रेस्पांडेन्ट नं0 1 का 1/2 हिस्सा है । स्व० गोकल जी की [illegible] के पश्चात अपीलांट व रेस्पांडेन्ट नं० 1 का 1/2–1/2 ह[illegible] आराजियात में निहित [illegible] इसी हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज [illegible]कर उसका उपयोग [illegible] करते चले आ रहे है तथा अपीलांट वक्त नामांतरण नाबालिग व छोटी थी जिसका नाजायज फायदा उठाते हुवे रेस्पांडेन्ट नं0 1 ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर अकेले अपने नाम गोकुल जी का वारिस बताकर नामांतरण स्वीकृत करा लिया तथा वादग्रस्त आराजियात अकेले रेस्पांडेन्ट नं० 1 के नाम पर दर्ज करा ली। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत केली तहसील निम्बाहेडा के उक्त नामांतरण की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नही थी. अपीलांट दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, जिनको

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:37 IST
Reason: SelfAttested

कानूनी की पुरी जानकारी नही हैं तथा पहली बार अपीलांट को अभी हाल ही में बैंक से लोन ले हेतु खाते की नकल की आवश्कता होने पर पटवार हल्का केली से उक्त आराजियात की खाते की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो उक्त नामांतरण की जानकारी पहली बार हुई और जानकारी होते ही नामांतरण की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र 11–06–2019 को नकल हेतु आवेदन पत्र दिया तथा 11–06–2019 को नकल मिली और नकल मिलते ही यह अपीलपेश की जा रही है। जो जानकारी के अभाव में होने से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अंदर अवधि पेश किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट्स संख्या 2 सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जवाब बन्द किया गया।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने स्व० गोकुल जी की मृत्यु के पश्चात अपीलांट व रेस्पांडेन्ट नं० 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में निहित था तथा अपीलांट वक्त नामांतरण नाबालिग व छोटी थी जिसका नाजायज फायदा उठाते हुवे रेस्पांडेन्ट नं0 1 ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर अकेले अपने नाम गोकुल जी का वारिस बताकर नामांतरण स्वीकृत करा लिया तथा वादग्रस्त आराजियात अकेले रेस्पांडेन्ट नं० 1 के नाम पर दर्ज करा ली। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत केली तहसील निम्बाहेडा के उक्त नामांतरण की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नही थी. अपीलांट दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, जिनको कानूनी की पुरी जानकारी नही हैं तथा पहली बार अपीलांट को अभी हाल ही में बैंक से लोन ले हेतु खाते की नकल की आवश्कता होने पर पटवार हल्का केली से उक्त आराजियात की खाते की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो उक्त नामांतरण की जानकारी पहली बार हुई और जानकारी होते ही नामांतरण की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र 11–06–2019 को नकल हेतु आवेदन पत्र दिया तथा 11–06–2019 को नकल मिली और नकल मिलते ही अपील पेश की गई जो जानकारी के अभाव में होने से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अंदर अवधि पेश की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत केली तहसील निम्बाहेडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 400 दिनांक 14.06.1969 निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 के नाम खाते में सही दर्ज करवाने की मांग की गई।

5. बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तर्क प्रस्तुत किये कि स्व० गोकुल जी की मृत्यु के पश्चात अपीलांट व रेस्पांडेन्ट नं० 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में निहित था और इसी हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा अपीलांट वक्त नामांतरण नाबालिग व छोटी थी जिसका नाजायज फायदा उठाते हुवे रेस्पांडेन्ट नं0 1 ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर अकेले अपने नाम गोकुल जी का वारिस बताकर नामांतरण स्वीकृत करा लिया तथा वादग्रस्त आराजियात अकेले रेस्पांडेन्ट नं० 1 के नाम पर दर्ज करा ली जबकि अपीलांट का [illegible] रेस्पांडेन्ट नं0 1 का 1/2 हिस्सा निहित हाने से वादग्रस्त आराजियात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 के नाम खाते में सही दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:37 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने बहस पर मनन किया [illegible] उक्त इंतकाल में प्रार्थीगणो के नाम में संशोधन किया जाना स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपील के साथ दस्तावेजो में सरपंच,ग्राम पंचायत केली के प्रमाण पत्र की प्रति, नामान्तरण संख्या 400 दिनांक 14.06.1969 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 662 की प्रति पेश की जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी का संशोधन न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत केली ,तहसील निम्बाहेड़ा द्वारा ग्राम केली, पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा में विरासत का निर्णित नामान्तरकरण संख्या 400 दिनांक 14.06.1969 निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को प्रकरण रिमांड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार गोकल पिता प्यारजी बलाई निवासी केली के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करवा पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही 1 माह में संपादित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दपतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

29/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:37 IST
Reason: SelfAttested